न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 04/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
वीसाराम पुत्र रामकिशन जाति–माली, निवासी–सांचौर तहसील व जिला–सांचौर		राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 29.05.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1375 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1383 रकबा 0.53 हैक्टेयर, जुमले रकबा 0.97 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त नवीन खसरा संख्या पुराना खेत खसरा संख्या 520 से नवसृजित हुए है। उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थी के पिता रामकिशन के नाम की थी द्वितीय सेटलमेंट के दौरान उक्त आराजी प्रार्थी को प्रार्थी के पिता ने बंटवाड़ा मे दिये जाने पर मौके पर काश्त कब्जा होने से दर्ज की गई लेकिन द्वितीय सेटलमेंट विभाग द्वारा दर्ज करते वक्त लिपिकीय भूल से प्रार्थी का नाम वीसाराम की बजाय बच्छराज लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम बच्छराज कभी नहीं रहा है तथा प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेजात् में प्रार्थी का नाम वीसाराम पुत्र रामकिशन दर्ज है तथा प्रार्थी के अन्य मालिकाना के खेत गांव बी. ढाणी में खसरा संख्या 1115 इत्यादि आये हुए है जिसमें प्रार्थी का नाम वीसाराम दर्ज है अतः उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम वीसाराम की जगह त्रुटिवश बच्छराज लिखा गया है, को सुधार कर बच्छराज की जगह वीसाराम के नाम की रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब पेश किया गया।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि उक्त आराजी प्रार्थी के पिता रामकिशन ने उसे बंटवाड़ा में दी गई तथा द्वितीय सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थी के मौके पर काश्त कब्जा होने से दर्ज की गई लेकिन दर्ज करते वक्त लिपिकीय भूल से प्रार्थी का नाम वीसाराम की बजाय बच्छराज लिख दिया गया जो गलत होने से उसे सुधार किया जाकर वीसाराम लिखने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 12:13:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने लिखित बहस पेश कर बच्छराज पुत्र रामकिशन की जगह वीसाराम पुत्र रामकिशन की इन्द्राज दुरूस्ती करने बाबत व बच्छराज पुत्र रामकिशन व वीसाराम पुत्र रामकिशन एक ही व्यक्ति होने से सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2068–2071 पेश की। उक्त जमाबंदी में म्यूटेशन नंबर 356 दिनांक 25.06.2013 कॉलम संख्या 13 में रामकिशन फौत की बजाय वीसाराम, प्रभुराम, फरसाराम, हरदान पिसरान रामकिशन समू अणसी पुत्रियां रामकिशन केसी देवी पत्नी मंशाराम, भेराराम, डायाराम नारणाराम, रतनाराम, पिसरान मंछाराम वसी कभी पुत्रियां मंशाराम नाम दर्ज है इसी प्रकार प्रार्थी का राशन कार्ड, मुल निवास प्रमाण–पत्र, पहचान–पत्र, पेन कार्ड, निर्वाचन नामावली, आधार कार्ड इत्यादि पेश किये गये है जिसमें भी वीसाराम पुत्र रामकिशन नाम दर्ज है किन्तु आधार जमाबंदी में खसरा संख्या 1775, 1782 में कॉलम संख्या 4 बच्छराज वल्द रामकिशन, कौम–माली, साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया है उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से आधार जमाबंदी में प्रार्थी का नाम वीसाराम की बजाय बच्छराज त्रुटिवश लिखा जाना प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा सांचौर के खेत खसरा संख्या 1375 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1382 रकबा 0.53 हैक्टेयर, जुमले रकबा 0.97 हैक्टेयर आराजी में बच्छराज पुत्र रामकिशन की बजाय वीसाराम पुत्र रामकिशन के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। उपरोक्त आशय की तहसीलदार सांचौर के नाम पृथ्क से तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 12:13:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को सरे–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner